

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार-नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Website: - www.klsgaci.edu.in

दूरभाष क्रं.-0755-2910370

(संस्थान मे आयोजित होने वाले कार्यक्रमो हेतु कैटरिंग सामग्री की दरों के अनुबंध की निविदा)
:नियम शर्ते ::

1. पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, में आयोजित होने वाले कार्यक्रमो हेतु कैटरिंग सामग्री की दरों के अनुबंध हेतु भारत सरकार के GEM पोर्टल के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है । भारत सरकार के GEM पोर्टल के माध्यम से निविदाएं प्राप्त एवं प्रस्तुत करने की तिथियां निम्नानुसार है :-

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की आरंभिक तिथि:-10.08.2023

निविदा प्रपत्र आनलाइन प्रस्तुत (अपलोड) करने की अंतिम तिथि:-05.09.2023

दर अनुबंध की निविदा प्रस्तुत करने की नियम निर्देश एवं शर्ते महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर भी प्रदर्शित होकर उपलब्ध है ।

सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

Sr.	Item	Sr.	Item
1	Tea 90 ml	18	Dal/ Sabji full plate
2	Biscuit	19	Rice Plate
3	Coffee 100 ml	20	Poha 80 g
4	Samosa /kachori/ Alubada 70 g	21	Water Bottle 500 ML
5	Lunch pack sabji pudi achar pani pauch	22	Idli vada sambar 02 pice
6	Bread Bada 70 g	23	kaju fry 100 gm
7	Nariyal pani 200ml	24	fry almonds 100 g
8	Lashi 200ml	25	Makhana fry 100 g
9	Matha 500ml	26	Veg Cutlet 2 Pieces
10	Milk 500 ml	27	kaju katli sweet 100 g
11	bhojan thali (sadi)	28	all in one namkeen 100g
12	bhojan thali (special)	29	cookies biscuit 100 g
13	bhojan thali (deluxe)	30	khaman dhokla 100g
14	Refreshment pack samosa, bisket, sweet pice ,frooti water bottle and chips	31	brunch Refreshment (min 100 person)with catering service Menu -samosa,Tea,chips Biscuit rate per plate
15	Dal-rice plate /kadi-rice plate	32	Bhajiya 100 g
16	Roti taba	32	Pani Batal 1000 ML
17	Bufe system (upto 100 person) with tent and catering service for Menu -roti, pudi subji seasonal , paneer sabjai,dal,sweet, raita, achar, papad,pani , rice, namkeen puri rate per plate	33	Bufe system (min 100 up-to 500 person) with tent and catering service for Menu -roti, pudi subji seasonal , paneer sabji,dal,sweet, raita, achar, papad,pani , rice, namkeen puri rate per plate



दर अनुबंध निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।


इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन भारत सरकार के GEM पोर्टल के माध्यम दर अनुबंध -निविदा प्राप्त कर सकते हैं तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है। जिसमें नियमानुसार प्रति प्रस्ताव मान्य किया जावेगा।

4. सफल निविदाकार से किया गया अनुबंध कार्यआदेश से 01 वर्ष तक मान्य होगा।
5. एल-1 फर्म को उपरोक्त वर्णित मीनू अनुसार उच्च गुणवत्तायुक्त कैटरिंग सामग्री कार्यक्रम स्थल/संस्थान/आडोटोरियम आदि तक स्वयं के व्यय पर पहुंचानी होगी। आवश्यकतानुसार आदेश एवं दूरभाष पर दी गयी सूचना पर चाय, दूध, मठठा आदि (अवकाश के दिनों में भी) संस्थान में पहुंचाना होगा। निर्धारित समय-सीमा में सामग्री उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
6. निविदाकर्ता /कैटरस का व्यवसायिक भोपाल नगर निगम सीमा अंतर्गत होना आवश्यक है, जिससे मांग अनुसार सामग्री की आपूर्ति तत्काल हो सके, व्यवसायिक स्थल के साक्ष्य में अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।
7. निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रुपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
8. सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में सामग्री के मूल्य के आकलन के आधार पर 3 प्रतिशत की राशि जमा करनी होगी। म0प्र0भंडार क्य नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित-2022 के प्रावधानों अनुसार म0प्र0के लघु उद्यम तथा स्टार्टअपस को वरीयता प्रदान की जावेगी।
9. एल-1 फर्म को उक्त कार्य हेतु आदेश जारी किया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि में शर्तों का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से कार्य नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी।
10. निविदाकर्ता फर्म का गुमास्ता संबंधित कार्य का होना तथा जीएसटी नं. होना अनिवार्य है।
11. निविदाकर्ता फर्म संबंधित सामग्री की बिक्री हेतु अधिकृत होना चाहिए जिसके साक्ष्य निविदाकर्ता के पास स्थानीय निकाय से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत प्रारूप (ख)नियम - 5 अंतर्गत कैटरिंग/पका भोजन प्रदाय करने संबंधी लायसेंस अथवा भारत सरकार फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथॉर्टी ऑफ इंडिया का लायसेंस एफ.एस.एस. एक्ट 2006 विनियम 2011 के फार्म सी में होना अनिवार्य होगा जिसकी छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
12. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2021-22 का टर्न ओवर न्यूनतम 10.00 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर विवरणी एवं सी.ए.द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
13. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा।

निविदाकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। इस संदर्भ ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रुपये 100.00के नान जूडिशियल स्टांप पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

15. दर अनुबंध-निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका पालन करना होगा।
17. दर अनुबंध तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल बांछित दस्तावेजों(चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार में क्षेत्र में लिया जावेगा।
18. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल




खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
(संस्थान मे आयोजित होने वाले कार्यक्रमो हेतु कैटरिंग सामग्री की दरों के अनुबंध की निविदा)
(तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम-----
2. फर्म के मालिक का नाम----- पिता का नाम-----
3. वर्तमान निवास का पता-----
4. दूरभाष / मोबाईल नम्बर-----
5. GSTIN NO.-----
6. जीवित गुमास्ता नं.....दिनांक
7. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2021-22 का टर्न ओवर न्यूनतम 10.00 लाख होना आवश्यक है,जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर विवरणी एवं सी.ए.द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
8. जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
9. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय /अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिये इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
10. निविदाकर्ता फर्म संबंधित सामग्री की बिक्री हेतु अधिकृत होना चाहिये जिसके साक्ष्य निविदाकर्ता के पास स्थानीय निकाय से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत प्रारूप (ख)नियम - 5 अंतर्गत कैटरिंग /पका भोजन प्रदाय करने संबंधी लायसेंस अथवा भारत सरकार फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथार्टी ऑफ इंडिया का लायसेंस एफ.एस.एस. एक्ट 2006विनियम 2011 के फार्म सी में होना अनिवार्य होगा जिसकी छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
11. निविदाकर्ता के पास शासकीय संस्था मे खाद्य सामग्री की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिये जिसे तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम-----



पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
(संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग सामग्री की दरों के अनुबंध की निविदा)

चैक-लिस्ट

क्रं.	दस्तावेजों के नाम	संलग्न हां/नहीं
1	गुमास्ता की छायाप्रति	
2	पेनकार्ड की छायाप्रति	
3	GSTIN.पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 का टर्न ओवर न्यूनतम 10 लाख के साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर विवरणी की प्रति एवं सी.ए.द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति	
5	ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रु 100.00 के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।	
6	लघु उद्यम तथा स्टार्टअप संबंधी शासकीय अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।	
7	निविदाकर्ता फर्म संबंधित सामग्री की बिक्री हेतु अधिकृत होना चाहिये जिसके साक्ष्य निविदाकर्ता के पास स्थानीय निकाय से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत प्रारूप (ख)नियम - 5 अंतर्गत कैटरिंग/पका भोजन प्रदाय करने संबंधी लायसेंस अथवा भारत सरकार फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथॉर्टी ऑफ इंडिया का लायसेंस एफ.एस.एस. एक्ट 2006विनियम 2011 के फार्म सी में होना अनिवार्य होगा जिसकी छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।	
8	निविदाकर्ता के पास शासकीय संस्था में खाद्य सामग्री की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिये जिसे तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा ।	
9	स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठान होने संबंधित अभिलेख	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता का नाम.....

फर्म का नाम

पता.....

मोबाइल नं.....